



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

30 श्रावण, 1948 (श०)

संख्या - 449 राँची, शुक्रवार,

21 अगस्त, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

आदेश

5 अगस्त, 2026

आदेश सं0-5/आरोप-1-98/2019 का०-5095--एन०आई०सी०, राँची द्वारा 30 दिनों से अधिक अवधि से लंबित जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने संबंधी मामलों की सूची उपलब्ध करायी गयी। उक्त सूची में पाया गया कि अंचल कार्यालय, टंडवा में जाति प्रमाण पत्र के 63 मामले 30 दिनों से अधिक अवधि से लंबित रखा गया है, जबकि सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु अधिकतम 30 कार्य दिवस का प्रावधान है।

उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-10161, दिनांक 19.12.2019 द्वारा श्री अनुप कच्छप, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-526/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, टंडवा से स्पष्टीकरण की माँग की गई।

श्री कच्छप के पत्रांक-1344, दिनांक 03.01.2020 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें प्रतिवेदित किया गया कि सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु अधिकतम 30 कार्य दिवस का प्रावधान है, किन्तु झारसेवा अन्तर्गत डीजिटल सिगनेचर मैपिंग विलम्ब होने एवं विधानसभा आम चुनाव 2019 में व्यस्तता के कारण ससमय प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हो पाया, जिसके लिए खेद है।

श्री कच्छप के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-1076, दिनांक 10.02.2020 एवं स्मार पत्रों द्वारा उपायुक्त, चतरा से मंतव्य की माँग की गई है।

उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-290, दिनांक 04.07.2026 द्वारा श्री कच्छप के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया है। उपायुक्त, चतरा द्वारा श्री कच्छप द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को स्वीकृत करते हुए इन्हें स्पष्टीकरण से मुक्त करने की अनुशंसा की गई है।

अतः उपायुक्त, चतरा के मंतव्य/अनुशंसा के आलोक में श्री अनुप कच्छप, झाँपुरा (कोटि क्रमांक-526/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, टंडवा से संबंधित इस मामले को संचिकास्त किया जाता है।

चिन्टू दोराईबुरु
सरकार के संयुक्त सचिव ।
